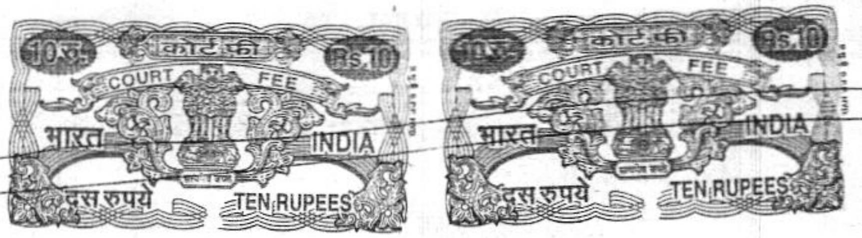

41

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

R - 349 - PBR/2012

श्रीराम पिता बाबूलालजी पटवारी
निवासी– ग्राम कैलोद तहसील महू, जिला इंदौर — प्रार्थी

विरूद्ध

1– भंवरसिंह मेरावत पिता गोबाजी
2– राधाकृष्ण पिता पीथाराम बेनीवाल
निवासी– एम.सी.टी.ई. महू तहसील महू जिला इंदौर — प्रतिप्रार्थीगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ।</u>

श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय, तहसील महू जिला इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/10–11 में दिनांक 12/01/2012 को पारित आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

<u>प्रकरण के तथ्य :–</u>

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेरछा स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 233, 252, 253, 254 कुल रकबा 0.556 हेक्टेयर का सीमांकन किए जाने हेतु बद्रीलाल पिता दोलाजी निवासी– ग्राम बेरछा तहसील महू जिला इंदौरके द्वारा धारा 129 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 का आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2011 को प्रस्तुत किया गया। बद्रीलाल पिता दोलाजी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन के आधार पर श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय महू जिला इंदौर द्वारा एक प्रकरण 120/अ–12/10–11 स्थापित कर अनावेदक की कृषि का सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 को आदेशित किया गया। आवेदित उक्त भूमि का एक अवैधानिक सीमांकन दिनांक 10/02/2011 को किया गया, प्रार्थीगण के द्वारा अपर तहसीलदार के समक्ष एक आपत्ति दिनांक 27/04/2011 प्रस्तुत की गई, कि उक्त सीमांकन अवैधानिक है, तथा प्रार्थी की भूमि सर्वे क्रमांक 230 एवं 231 की भूमि सीमांकन हेतु आवेदित भूमि से लगी है, उन्हे उक्त सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई अतः उक्त सीमांकन निरस्त किया जावे। उक्त आपत्ति को अपर तहसीलदार के द्वारा अभिलेख पर लेकर उक्त आपत्ति के जवाब हेतु प्रकरण में पेशी दिनांक 06/05/11 तथा 25/ 05/2011 नियत की गई, उक्त आपत्ति के विचाराधीन अवस्था में राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रतिप्रार्थी से मिलीभगत कर उक्त आवेदित भूमि का एक द्वितीय सीमांकन दिनांक 24/05/2011 को कर सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 24/05/2011 की प्रस्तुत की गई। दिनांक 25/05/ 2011 को भी प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 24/05/2011 के सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत की गई, उक्त दोनों आपत्तियों को नजर अंदाज कर श्रीमान् अपर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 25/05/2011 को प्रकरण में आदेश पारित किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 349/पीबीआर/12 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब अपर तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	